

सं० 35011/3/76-स्थापना (क)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2-5-1977

कार्मिक शोधन

विषय: - राष्ट्रीय परिषद् की 18 वीं साधारण बैठक - छुट्टी यात्रा रिपयत के संबंध में नियमों के पुनरीक्षण से संबंधित मद्र :-

मुख्य यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय परिषद् (जे०सी० एम० ०) के कर्मचारी पक्ष ने सुझाव दिया था कि छुट्टी यात्रा रिपयत विशेष आकस्मिक छुट्टी की अवधि के दौरान भी मिलनी चाहिए जैसा कि आजकल यह आकस्मिक छुट्टी के दौरान ही स्वोकार्थ है। कर्मचारी पक्ष द्वारा दिए गए सुझाव पर 6 तथा 7 जनवरी, 1977 को हुई राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि सरकारो कर्मचारी द्वारा विशेष आकस्मिक छुट्टी के दौरान की गई यात्राओं के लिए भी छुट्टी यात्रा रिपयत स्वोकार्थ दीगी। वित्त मंत्रालय आदि इस निर्णय की अपने अधीन सेवा कर रहे सभी सरकारो कर्मचारियों को जानकारी में ला दें।

2 जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम कर रहे व्यक्तियों का संबंध है, वे अद्विष्टा नियंत्रक तथा महारिखा परीक्षक के परामर्श से जारी किये जाते हैं।

अ.पी.सी. गुप्ता
(जार० सी० गुप्ता)

उप सचिव भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग की अतिरिक्त प्रतियों को सामान्य संख्या के साथ।

सं० 35011/3/76-स्थापना(क) दिनांक 1977 प्रति अतिरिक्त प्रतियों को सामान्य संख्या के साथ।

2-5-77

1. नियंत्रक तथा महारिखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. रंध लेख सेवा अधीन का कार्यालय, नई दिल्ली।
3. केन्द्रिय सतर्कता अधीन का कार्यालय, नई दिल्ली।
4. वित्त मंत्रालय/राज्य सभा सचिवलय।
5. गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
6. गृह मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी अनुभाग।
7. जे० सी० एम० अनुभाग कर्मचारी पक्ष के सदस्यों की परिचालित करने के लिए 150 प्रतियाँ सहित।